राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1487/2012/जालौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–जालौर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स तेजराज मेहता,
रानीवाड़ा, सांचौर । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अधिकृत प्रतिनिधि। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :19.03.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–जालौर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स–द्वितीय) वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **23.02.2012** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 31/आरवेट/जालौर/2011–12** के संबंध में तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/2 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष **2008–09** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **23.12.2010** के जरिये क्रेडिटनोट्स प्राप्त राशि में से आनुपातिक आधार पर रिवर्स किये गये कर **रू.1,40,227/– व अनवुर्ती ब्याज रू.14,705/–** की कायम मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि के लिये निर्धारण आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि आलोच्य अवधियों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसके विक्रेता जो थोक विक्रता व्यवहारी है से डिस्काउण्ट के जरिये क्रेडिट नोट्स प्राप्त हुये हैं, जिनका लाभ लेकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा **क्रय कीमत से कम कीमत** पर माल का विक्रय कर, कम प्रतिफल प्राप्त होना घोषित किया गया है एवम् तद्नुसार क्रय कीमत से कम कीमत पर विक्रय घोषित करने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आउटपुट टैक्स से अधिक आगत कर के मुजरा का लाभ चाहा गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा **अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–II** के प्रकाश में, अस्वीकार कर, उपर्युक्त वर्णित कर की

मांग राशि कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया कि पश्चात्वर्ती प्राप्त ''डिस्काउन्ट्स'' की आड़ में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्रय कीमत से कम कीमत पर माल का विक्रय कर, कर दायित्व घोषित किया है, जो विधिअनुकूल नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–II के प्रावधान हैं । अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अवधारित कर, इसमें आनुपातिक रिवर्स टैक्स व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों का विपरीत विवेचन एवम् विश्लेषण कर, प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक एवम् अनुचित होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने प्रथम विक्रेता व्यवहारी से वेट इन्वॉयसेज के आधार पर माल क्रय कर, पश्चात्वर्ती विक्रेता व्यवहारी के रूप में ही विक्रय किया है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत समस्त माल की क्रय कीमत जो प्रथम विक्रेता व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत है, पर प्रथम विक्रेता व्यवहारी ने वैट इन्वॉयसेज के अनुसार कुल विक्रय कीमत पर देय कर का भुगतान कर दिया है तथा जिसमें से प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्रदान किये गये ''डिस्काउन्ट्स'' को उनके द्वारा घोषित विक्रय कीमत में से कम नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–II के प्रावधान, प्रत्यर्थी व्यवहारी पर लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि वैट इन्वॉयसेज के अनुसार भुगतान किये गये कर का ही आगत कर के मुजरे का प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रत्यर्थी व्यवहारी प्राप्त करने का हकदार है। अतः प्राप्त किये गये डिस्काउन्ट्स के आधार पर आनुपातिक रूप से कर दायित्व कायम

कर, कर का आरोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों स.वा.क.अ., घट–चतुर्थ, वृत्त–डी, जोधपुर बनाम् मैसर्स निराली ढाणी (धूत रिसोर्ट्स), चौपासनी रोड, जोधपुर, अपील संख्या–2128/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 21.05.2012 व वा.क.अ., वृत्त–जालौर बनाम् मैसर्स अम्बिका सीमेंट एजेन्सीज़, सायला, अपील संख्या 1589 से 1597/2011/जालौर निर्णय दिनांक 18.06.2012, जो (2012) 24 सी.टी.एन. संख्या–29 (7) पर प्रकाशित है, को प्रोद्धरित कर, हस्तगत प्रकरण, उक्त वर्णित न्यायिक विनिश्चयों से आच्छादित होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवम् रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 530/2012/भरतपुर निर्णय दिनांक 25.10.2013 व कर बोर्ड द्वारा विभिन्न पारित न्यायिक विनिश्चयों स.वा.क.अ., घट–चतुर्थ, वृत्त–डी, जोधपुर बनाम् मैसर्स निराली ढाणी (धूत रिसोर्ट्स), चौपासनी रोड, जोधपुर, अपील संख्या–2128/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 21.05.2012 व वा.क.अ., वृत्त–जालौर बनाम् मैसर्स अम्बिका सीमेंट एजेन्सीज़, सायला, अपील संख्या 1589 से 1597/2011/जालौर निर्णय दिनांक 18.06.2012, जो (2012) 24 सी.टी.एन. संख्या–29 (7) पर प्रकाशित है का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि हस्तगत प्रकरण की तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठों (एकलपीठ) के ऊपर अंकित न्यायिक विनिश्चयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।

19.3.2015

(मदन लाल)

सदस्य